न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्रीमति शकुन्तला चौधरी आरएएस

प्रकरण सं0 : 220/2020

1. हरदत्त पुत्र सन्तलाल जाति जाट निवासी भनाई त0 भादरा।

:— वादी

ब ना म

1. सन्तलाल पुत्र आसाराम जाति जाट निवासी भनाई त0 भादरा।
2. जगदीश चौधरी पुत्र सन्तलाल जाति जाट निवासी भनाई त0 भादरा।
3. रमेश पुत्र सन्तलाल जाति जाट निवासी भनाई त0 भादरा।
4. राज0 सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

:— प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ शकुन्तला चौधरी सहायक कलक्टर फास्ट-ट्रेक भादरा के समक्ष वकील वादीगण श्री महेन्द्र जांगिड एवं वकील प्रतिवादीगण श्री नरेश कुमार की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर एवं वाद वादीगण साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा आंशिक डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा भनाई के खाता सं0 482/421 के खसरा सं0 379/2 की 1.7580है0, खसरा सं0 714 की 5.9440है0 कुल 7.7020है0 बारानी खातेदारी में प्रतिवादी सं0 1 सन्तलाल के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है में से प्रतिवादी सं0 1 सन्तलाल की बजाय वादी हरदत्त व प्रतिवादी सं0 1 सन्तलाल, प्रतिवादी सं0 2 जगदीश चौधरी व प्रतिवादी सं0 3 रमेश को हिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 2.2.2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

सहायक कलेक्टर
(फास्ट ट्रेक) भादरा
R.A.S.

सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्रीमति शकुन्तला चौधरी आरएएस

प्रकरण सं0 : 220/2020

1. हरदत पुत्र सन्तलाल जाति जाट निवासी भनाई त0 भादरा।

:- वादी

ब ना म

1. सन्तलाल पुत्र आसाराम जाति जाट निवासी भनाई त0 भादरा।
2. जगदीश चौधरी पुत्र सन्तलाल जाति जाट निवासी भनाई त0 भादरा।
3. रमेश पुत्र सन्तलाल जाति जाट निवासी भनाई त0 भादरा।
4. राज0 सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

:- **प्रतिवादीगण**

दावा बाबत : घोषणात्मक एवं रिकार्ड दुरूस्ती

अन्तर्गत धारा 88 राज0काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति : वकील श्री महेन्द्र जांगिड : वादी

वकील श्री नरेश कुमार: प्रतिवादीगण

निर्णय दिनांक : 2-2-2022

संक्षेप मे वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा भनाई के खाता सं0 482/421 के खसरा सं0 379/2 की 1.7580है0, खसरा सं0 714 की 5.9440है0 कुल 7.7020है0 वारानी खातेदारी में प्रतिवादी सं0 1 सन्तलाल के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। जो पहले वादी के दादा आसाराम की खातेदारी हुआ करती थी। आसाराम के देहान्त के बाद उक्त भूमि को प्रतिवादी स0 1 सन्तलाल ने कर्ता खानदान होने के चलते तन्हा अपने नाम विरासतन दर्ज करवा ली।

वादी एंव प्रतिवादगण हिन्दू है तथा हिन्दू विधि से शासित होते है। वादभूमि वादीकी पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादीका जन्म से हक एवं अधिकार निहित है। वादी अपनी बंटवारा की भूमि को समतल उपजाउ बनाकर सुधार करना चाहते है जिसके लिए उन्हे केसीसी, ऋण आदि की आवश्यकता रहती है इसलिए वादी ने प्रतिवादीगण को उक्त वाद भूमि को अपने हक हिस्सा अनुसार राजस्व रिकार्ड मे दर्ज करवाने के लिए कहा तो वे ऐसा करने से साफ इन्कार हो गये लिहाजा वाद बनाम मुखालिफान है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के उपरान्त वादी एवं प्रतिवादी सं 1 ता 3 द्वारा आपसी सहमती से दावा की सभी मद सख्या को स्वीकार करते हुए अपने पहचान पत्र व दस्तावेजों के साथ राजीनामा पेश किया गया। प्रतिवादी सं 4 स्टेट की ओर से जवावदावा पेश किया। प्रतिवादीगण द्वारा राजीनामा पेश किये जाने पर वहस की कोई आवश्यकता नही है। अतः पत्रावली में साक्ष्य करवाया गया।

साक्ष्य वादी मे पीडब्ल्यु 1 हरदत पुत्र सन्तलाल के बयान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में सत्यप्रतिलिपि जमाबदी भनाई के खाता सं0 482/421 प्रदर्श 1 प्रदर्शित करवाये।

वहस उभयपक्ष सुनी गई। दौराने वहस वकील वादीने वाद के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि वाद भूमि वादीकी पैतृक कृषि भूमि है जिसमे वादी का जन्म से हक हिस्सा है। उक्त वाद भूमि प्रतिवादी सं 1 के नाम राजस्व रिकार्ड मे दर्ज होने पर वादीगण के हकों पर विपरित असर पड़ता है।अतः मुताबिक राजीनामा वाद में

Scanned with CamScanner

वर्णित भूमि पैतृक सम्पति साबित होने पर वाद वादी डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेज का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में वादी ने रोही भनाई के राजस्व रिकार्ड में अपने पिता के नाम दर्ज भूमि में अपने हकों की घोषणा करवाने हेतु वाद पेश किया है। दस्तावेजी साक्ष्य में सत्यप्रतिलिपि जमाबंदी भनाई के खाता सं0 482/421 प्रदर्श 1 प्रदर्शित करवाये। पत्रावली में पेश वारिस प्रमाण के अनुसार सन्तलाल के तीन पुत्र जगदीश चौधरी, रमेश व हरदत तथा इनके अलावा कोई वारिस नही होना अंकित है। तथा प्रदर्श 1 से वाद भूमि पैतृक कृषि भूमि होना साबित है तथा वादी व प्रतिवादी सं0 1 ता 3 का जन्म से हक हिस्सा निहित है । इस प्रकार वाद वादीगण मुताबिक राजीनामा व पैतृक सम्पति के आधार पर काबिल स्वीकार होने पर स्वीकृत किया जाता है।

क्रियात्मक आदेश

अत : वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा आंशिक डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा भनाई के खाता सं0 482/421 के खसरा सं0 379/2 की 1.7580है0, खसरा सं0 714 की 5.9440है0 कुल 7.7020है0 बारानी खातेदारी में प्रतिवादी सं0 1 सन्तलाल के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। में प्रतिवादी सं0 1 सन्तलाल की बजाय वादी हरदत व प्रतिवादी सं0 1 सन्तलाल, प्रतिवादी सं0 2 जगदीश चौधरी व प्रतिवादी सं0 3 रमेश को बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 2.2.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) भादरा

R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner